बताया जाए कि बाकी कैपेसेटी जो इस्तेमाल नहीं हो रही है यह क्यों नहीं हो रही है ? अगर इसका इस्तेमाल नहीं होना था तो इसको बढ़ाया क्यों गया ? अगर कम कैपेसेटी की जरूरत थी तो उसको ज्यादा क्यों किया गया ? यह जो खर्चा हुआ इसकी क्या वजह थी और कौन इसके लिए जिम्मेदार है ?

डा० चन्ना रेड्डी : चौथे प्लान के टारगेट्स के लिहाज से हमारी जो जरूरतें थीं उनका अंदाजा लगा कर इस कैपेसेटी को बढ़ाया गया। जो कैपेसेटी बढ़ाई गई है उसको हम बेकार नहीं जाने दे रहे हैं। उसकी हम बिलेट्स बना करके रिरोलर्ज के तौर पर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मजीद रेलों के लिए इसकी जरूरत हो सकती है और इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है।

श्री जार्ज फरनेंडीज़: श्री मधु लिमये के सवाल के सिलसिले में एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब दुर्घटनायें हुई थीं तब आरोप भी लगाया गया था और तब एक जांच कमेटी बिठाई गई थी। आरोप था कि साफ्ट स्टील इस्तेमाल करने में आ गया। जो जांच कमेटी बिठाई गई थी क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है और अगर आ गई है तो क्या उस में यह बात साबित हो गई है कि साफ्ट स्टील का इस्तेमाल रेल पटरियों को बनाने में किया गया है ?

डा० चन्ना रेड्डी : ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जो भी हुआ है वह सिर्फ एक सौ एंड आड टन के बारे में हुआ है। उसका जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री जार्ज फरनेंडीज़ : कमेटी बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी और अगर बनाई गई थी तो क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है या नहीं आई ?

डा० चन्ना रेड्डी : खुद भिलाई स्टील प्लांट ने जिस कास्ट में यह खराबी दिखाई दी उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी ; उसने रिपोर्ट दी और कुछ सजशंज भी दीं। उस वक्त ब्लूम कपेसेटी बढ़ने की वजह से मिक्स अप हो गया। उसको ठीक कर रहे हैं। रेलवे वाली कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं।

Shri Ranga: Would the House be assured that necessary action is being taken in regard to the recommendations made by that committee in regard to the manner in which the defects could be remedied. May I know whether the railways who are the consumers of this item are also being constantly consulted in regard to the quality of the rails that are being supplied to them so that they can have checks and counter-checks to be sure that there would be no accidents as a result of the soft quality of the rails?

Dr. Chenna Reddy: I can extend a categorical assurance that all adequate care is being taken at the time of inspection by the representative of the DGSD and the steel plant manufacturers not only in Bhilai but whereever else these rails are manufactured, and the railways insist that the Indian Railway standard specification be perfectly observed.

As for this particular incident, I had clarified and I would again clarify with your permission that those rails were not used and all of them were brought back, and even then it has happened only in one cast because there was at that time some mix-up due to the increase in the bloom capacity. Precautions are being taken to ensure quality, and I can give this categorical assurance to the House.

NAPCO, Faridbad

+

***1143. Shri George Fernandes:**
Shri J. H. Patel:
Dr. Ram Manohar Lohia:

Shri Madhu Limaye:
Shri Virendrakumar Shah:

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the differences between the American collaborators and the Indian Management of the NAPCO, Faridabad that have come to light since the take-over of the factory by the Punjab Government;

(b) whether the management of the factory have charged Government of having stood by silently when there was undue interference in the factory's working by USAID; and

(c) whether any steps have been taken to reopen the factory?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Shri Raghunath Reddi): (a) to (c). A statement is laid on teh Table of the House.

STATEMENT

(a) Government are aware that differences exist between the American collaborators and the Indian management of M/s. NAPCO, Faridabad.

(b) No, Sir.

(c) While Government are anxious that the factory should reopen and function normally as quickly as possible, this is a matter in which action now rests with the Punjab Government. Some petitions filed by interested parties are pending before Courts and any action to reopen the factory may have to await the disposal of these petitions which have a bearing on the factory's working.

श्री जार्ज फ़रनेन्डीज़ : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट में यह नहीं बताया गया है कि अमरीकी कोलेबोरेटज़ और इस कम्पनी के प्रबन्धकों के बीच में किन विषयों में मतभेद है । यह बिल्कुल अधूरा स्टेटमेंट है । मंत्री महोदय पहले इसका खुलासा कर दें, ताकि मैं इस बारे में प्रश्न पूछ सकूं । स्टेटमेंट में सिर्फ़ यह कहा गया है कि "डिफरेंसिज़ एग्जिस्ट"

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद) : मैं तमाम बात बता देता, लेकिन जैसा कि जवाब में बताया गया है, यह मामला हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल के सामने है इसलिए बेहतर होगा कि इन बातों का ज़िक्र न किया जाय ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को जानकारी देने में क्या ऐतराज़ है ? अगर ये लोग हर प्रश्न के बारे में ऐसी बात कहेंगे, तो फिर लोक सभा का कोई मतलब ही नहीं रह जायेगा ।

श्री जार्ज फ़रनेन्डीज़ : इस सदन के सामने सब फ़ैक्ट्स तो रखे जाने चाहियें । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अमरीकी कोलेबोरेटर्ज़ और कम्पनी के प्रबन्धकों के बीच में किन किन बातों को ले कर मतभेद है ।

Shri F. A. Ahmed : The only difference is that the Indian firm says that the agreement entered into with the collaborator has not been kept by the foreign collaborator. That is one thing The other dispute is that the money was advanced by USAID, nearly $ 2.3 million on the guarantee of the Punjab National Bank, and again the Government of the Punjab had to give a guarantee after taking as security the fixed assets to the Punjab National Bank. Because certain amounts have not been paid on account of the instalment and also interest, therefore USAID have given notice and started realisation of the amount due to them. As the Hon. Member is aware, so far as we are concerned, we only come in as we are under obligation to USAID to return the money in dollars after the money has been paid to us in rupees.

श्री जार्ज फ़रनेन्डीज़ : क्या यह सच नहीं है कि जब पंजाब सरकार ने इस कारखाने

को अपने हाथ में लिया, उसके बाद यू० एस० एड की तरफ़ से इस प्रकार की हरकत शुरू हो गई और जब तक यह कारखाना निजी क्षेत्र में था सरकार ने उस में हस्तक्षेप नहीं किया था, तब तक ऐसा कोई झंझट नहीं था ?

Shri F. A. Ahmed: I would not like to say anything because this entirely concerns the Punjab Government and the only way in which we come into the picture is with regard to our obligation to USAID.

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस मामले का सम्बन्ध पंजाब राज्य से है और हमारा सम्बन्ध केवल अमरीका के साथ किये गये गारण्टी सम्बन्धी करार को ले कर है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां जहां विदेशी सहायता के या जिन कम्पनियों में विदेशी पूंजी लगी हुई है, उन के मामले आते हैं, क्या वे सारे मामले राज्य सरकारों को सौंप दिये जायेंगे। आज के अखबारों में आया है कि ब्रिटेन के दूतावास के द्वारा पश्चिमी बंगाल की सरकार को एक विरोध पत्र दिया गया है और उसका सीधा जवाब पश्चिम बंगाल के उपमुख्यमंत्री, ज्योति बसु साहब, ने दिया है। जब इंगलैंड की सरकार इस मामले में दिलचस्पी लेती है, तो क्या वजह है कि केन्द्रीय सरकार विदेशी सहायता और विदेशी कम्पनियों के मामलों को राज्यों पर छोड़ रही है ? क्या मंत्री महोदय इस बात का खुलासा करेंगे ? वित्त मंत्री जी भी इस बारे में प्रकाश डाल सकते हैं।

श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद : बदकिस्मती यह है कि आनरेबल मेम्बर इन तमाम बातों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, लाइसेन्स देने के वक्त इन तमाम बातों पर, कन्डीशन्ज वगैरह पर, ग़ौर किया जाता है। जब दो पार्टियों में कन्ट्रेक्ट होता है और एक एग्रीमेंट हो जाता है, तो उसमें गवर्नमेंट नहीं आता है। चूंकि यह केस सब-जुडिस है, इसलिये यह मुनासिब नहीं है कि गवर्नमेंट इस केस के बारे में राय जाहिर करे।

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय स्वयं तो मेरे प्रश्न को समझते नहीं हैं और उल्टे मुझे कह रहे हैं कि मैं समझने की कोशिश नहीं करता हूं।

जहां विदेशी सहायता और विदेशी कम्पनियों का सवाल आता है और झंझट और विवाद पैदा होते हैं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का यह फ़र्ज़ नहीं है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जिस तरह ब्रिटेन की सरकार काम करती है, उसी तरह उसको भी करना चाहिए, चाहे ट्राम कम्पनी का मामला हो और चाहे पंजाब की नेपको फ़र्म का मामला हो।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : करते हैं और करेंगे, जब कि मामला अदालत में नहीं होगा।

Shri Jyotirmoy Basu: The Hon. Minister, if I remember aright, had mentioned about certain lapses on the part of the American collaborators. If that is so, what are the lapses on the part of the American collaborators?

Shri F. A. Ahmed: I have already said the matter is sub-judice, and it would not be proper and desirable for me to express an opinion either on the one side or the other.

Shri Jyotirmoy Basu: These lapses are placed before the court of law. Let us also know what is happening.

Shri F. A. Ahmed: I am not prepared to say when the matter is sub-judice.

श्री अब्दुल गनी डार : क्या वजीर साहब यह फ़रमायेंगे कि कोई अंडरस्टैंडिंग या एशोरेंस देने से पहले और कोई जिम्मेदारी लेने से पहले उन्होंने इस बात की जांच कर ली थी और उनको यह सैटिसफ़ैक्शन हो गया था कि जो मैशीनरी आ रही है,

वह सारी रीकन्डीशन्ड और पचास साल पुरानी राटन मैशीनरी तो नहीं है, क्या सारी मशीनें रद्दी और बेकार तो नहीं हैं, क्या इसमें अंडर-इनवायसिंग और ओवर -इनवायसिंग तो नहीं हुआ है और सारा रुपया मिल-मिला कर खाया तो नहीं जा रहा है, क्योंकि यह मामला दास कमीशन के सामने आया था और .....

[کیا وزیر صاحب یہ فرمائیںگے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھا ایشورپلس دیلے سے پہلے اور کوئی ذمہواری لیلے سے پہلے انہوں نے اس بات کی جانچ کر لی تھی اور ان کو یہ یقسفیکشن ہو گیا تھا کہ جو مشینری آ رہی ہے- وہ ساری ریکنڈیشنڈ اور پچاس سال پرانی راٹن مشینری تو نہیں ہے - کیا ساری مشینیں ردی اور بیکار تو نہیں ہیں - کیا اس میں انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ تو نہیں ہوا ہے اور سارا روپیہ مار کر کرایا تو نہیں جا رہا ہے - کیونکہ یہ معاملہ داس کمیشن کے سامنے آیا تھا اور --]

Mr. Speaker: Please put the question.

श्री अब्दुल गनी दार : मेरा सवाल यह है कि क्या गवर्नमेंट ने एशोरेंस देने से पहले इस बात की तसल्ली कर ली थी कि अमरीका वाले या यह पार्टी बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं और देश का रुपया ो बर्बाद नहीं हो रहा है, अगर नहीं की थी, तो इस की जिम्मेदारी किस पर है ।

[میرا سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ نے ایشورپلس دیلے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ امریکہ والے یا یہ پارٹی بےایمانی تو نہیں کر رہے ہیں اور دیش کا روپیہ تو برباد نہیں ہو رہا ہے - اگر نہیں کی تھی - تو اس کی ذمہداری کس پر ہے -]

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद : हम ने कोई एसोरेंस नहीं दी । आनरेबल मेम्बर ने अपने सवाल में जिन बातों का जिक्र किया है वे सब अदालत के जेरे-गौर है ।

श्री अब्दुल गनी दार : आन ए पायंट आफ आर्डर । मेरे सवाल का जवाब दिलाया जाये कि क्या गवर्नमेंट ने एशोरेंस देने से पहले इस बात की तसल्ली कर ली थी कि बेईमानी नहीं होगी ।

[آن اے پوائنٹ آف آرڈر سو . میرے سوال کا جواب دلایا جائے کہ کیا گورنمنٹ نے ایشورپلس دیلے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ بےایمانی نہیں ہو گی]

Shri Ram Kishan: May I know if in 1964 the then Punjab Government approached the Central Government to look into the various aspects, legal as well as financial, of this agreement; if so, the advice given by the Union Government to the Punjab Government on this subject?

Shri F. A. Ahmed : That was so far as the conditions of the licence, of granting of licence, were concerned. That was looked into, and on that basis we took into consideration the suggestions made by the Punjab Government, and those conditions were incorporated.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर यह मान भी लिया जाये कि यह मामला अदालत के विचाराधीन है और मंत्री महोदय इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते है, लेकिन एक आम सवाल खड़ा किया गया है कि क्या केन्द्रीय सरकार यह पसन्द करेगी कि विदेशी सरकारें ऐसे मामलों में हमारी राज्य सरकारों को सीधे चिट्ठियां लिखें और राज्य सरकारें भी केन्द्र की राय के बिना विदेशी सरकार से पत्र-व्यवहार करें।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस मामले में तो ऐसी चिट्ठी का सवाल ही नहीं आया, क्योंकि यहां कंट्रेक्ट दो प्राईवेट पार्टीज के दरमियान हुआ था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं तो आम बात कर रहा हूं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : तो आम जवाब यह है कि विदेशी गवर्नमेंट्स यहां की सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस का जवाब देती है।

Shri Ranga: Is it not a fact that some of the State Governments have been asking the Government of India to agree to their proposal to get into direct contact with some foreign governments and foreign concerns in order to develop their industries, and whether it is also not a fact...

Mr. Speaker: I do not think Mr. Fakhruddin will be able to answer. It is a general question.

Shri Ranga: ....that the Government of India is not responsible for the tems of the contract that either the State Government or any private concern gets into with any foreign-collaborator except for the fact that the foreign collaborators should not have more than a particular percentage as share capital?

Shri F. A. Ahmed: The position is very clear that so far as foreign collaboration is concerned, no one can enter into foreign collaboration without the approval of the Government of India. If two parties agree on a certain thing and one of the parties feels that certain conditions had not been fulfilled, then that party should come to us. Instead of that, they have rushed to the court. Since the matter is pending before the Court, it will not be desirable or proper for me, unless and until the matter has been disposed of by the courts, to say my views on that.

Shri Dattatraya Kunte: Will the hon. Minister be pleased to place on the Table a copy of the plaint and the written statement in that case?

Shri F. A. Ahmed: I have nothing to do with that petition, that has been filed by the party concerned.

Tax on Imported Cotton

\+

*1144. **Shri Madhu Limaye:**
Shri S. M. Banerjee:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri George Fernandes:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to criticism regarding the imposition of a "fee" or "tax" by the Cotton Mills Owners' Federation on imported cotton without the sanction of Government;

(b) whether the funds accumulated as a result of this "tax collection" have been misapplied or misappropriated; and

(c) the action taken to stop the illegal collection of this "tax" by a private, unauthorised body mentioned in part (a) and to bring the offenders mentioned in part (b) to book?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) The scheme of voluntary contributions by the cotton textiles industry for the export promotion of cotton textiles was evolved with the knowledge of Government authorities.

(b) No, Sir. The funds accumulated have been utilised for promoting the export of cotton textiles. The collection as well as disbursements of these funds are duly audited.

(c) Does not arise.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार का ध्यान इस तरह की फी लगाने के बारे में जो आलोचना की जाती है उस की ओर गया है, यह मेरा सवाल था। आपने जवाब दिया है कि सरकार की सम्मति से यह किया गया है तो इस के बारे में आप उत्तर दें।